

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 137-विनियम एवं औ०सं०/पाकालि/11-6-विनियम/98

दिनांक: 24 सितम्बर, 2011

1-प्रबन्ध निदेशक,

पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल

विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को,

वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कानपुर।

2-प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड,

शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

विषय :-अधिकारियों/कर्मचारियों के पारिवारिक सदस्यों/सम्बन्धियों द्वारा विभागीय ठेकों/विभागीय कार्य करने आदि के सम्बन्ध में घोषणा किये जाने विषयक।

महोदय,

उ०प्र० सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित), जो कि सम्प्रति उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड में भी लागू एवं प्रभावी है, की धारा 15 के प्राविधानानुसार सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य द्वारा अ-सरकारी व्यापार या अ-सरकारी नौकरी हाथ में लेने की दशा में ऐसे व्यापार या नौकरी की सूचना सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकार को दी जायेगी।

उपरोक्त को पुनर्बलित करते हुए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को पुनः यह निर्देशित किया जाता है कि वे सम्बन्धित विभागीय इकाई प्रमुख को यह घोषणा पत्र प्रस्तुत करें कि उनके किसी भी सम्बन्धी द्वारा उनसे सम्बन्धित वितरण निगम/पारेषण निगम में कोई विभागीय ठेका/कार्य नहीं किया जा रहा है। यह घोषणा-पत्र, पत्र निर्गमन के एक माह के अन्दर नियन्त्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसके अनुपालन की सूचना पत्र निर्गमन के 45 दिन के भीतर मुख्यालय को दिया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

किसी अधिकारी/कार्मिक द्वारा उपरोक्त घोषणा न प्रस्तुत किये जाने पर आचरण नियमावली के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

घोषणा-पत्र प्राप्त होने के पश्चात इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही का निष्ठापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

महोदीय,


(नवनीत सहगल)

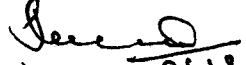
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक



संख्या: 137 (I) विनियम एवं औ0सं0/पाकालि/11-तददिनांक: 24/9/11

प्रतिलिपि कृपया निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/डिस्काम/पारेषण निगम लिमिटेड ।
- 2- परिषद मुख्यालय के समस्त अधिकारी/कर्मचारी।
- ✓ 3- अधिशासी अभियन्ता, वेब साइट (कक्ष संख्या-407) को कारपोरेशन की वेब साइट हेतु।


(जावेद अहमद 24/9/11)
अनुसचिव (विनियम)